मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014-आषाढ़ 20, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अखिल अग्रवाल पिता गिरधारीलाल अग्रवाल था, जो अब परिवर्तित होकर नया नाम अखिलेश अग्रवाल पिता गिरधारीलाल अग्रवाल हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अखिलेश अग्रवाल पिता गिरधारीलाल अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(अखिल अग्रवाल)

नया नाम :
(अखिलेश अग्रवाल)
पिता : गिरधारीलाल अग्रवाल,
पता—241, तिलक मार्ग, वार्ड नं. 5,
सेंधवा, जिला बड़वानी (म. प्र.).

(166-बी.)

CHANGE IN NAME

I, Reema Israni hereby declare that after marriage. I have change my name as Mahak Masand W/o Ritesh Masand. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :
(REEMA ISRANI)

New Name :
(MAHAK MASAND)
W/o Ritesh Masand,
Add.—14, Air Ruby Villa,
Silver Spring Township,
Bila-wali Bypass, Indore (M.P.).

(167-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, रोहिणी सोनी पुत्री श्री दिलीप कुमार सोनी, आयु 18 वर्ष, निवासी एम.आई.जी. 55, एफ-सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल. यह कि पूर्व में सपना सोनी पुत्री श्री दिलीप कुमार सोनी के नाम से जानी-पहचानी जाती थी. मैं बारहवीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम सपना सोनी के नाम से ही पूरा किया है. अब मैं रोहिणी सोनी पुत्री श्री दिलीप कुमार सोनी के नाम से जानी और पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(सपना सोनी)

नया नाम :
(रोहिणी सोनी)
एम. आई. जी.-55, एफ-सेक्टर,
अयोध्या नगर, भोपाल.

(168-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, आनंदीलाल दांगी, उम्र लगभग 20 वर्ष पिता श्री केशव दांगी, निवासी ग्राम झारखेड़ा, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. यह है कि मेरा वर्तमान नाम आनन्दीलाल दांगी है, जो कि मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर आनंद सिंह दांगी कर लिया है. आज दिनांक 23-04-2014 से सर्व-साधारण को सूचित कर रहा हूँ कि आज से मुझे आनंद सिंह दांगी के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(आनन्दीलाल दांगी)

नया नाम :
(आनंद सिंह दांगी)
पता—आई-26, सिटी सेन्टर, साईट नं. 1,
ग्वालियर (म. प्र.).

(165-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम विनय कुमार था, वर्तमान में मेरा परिवर्तित नाम विनय विजयवर्गीय हो गया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(विनय कुमार)
(VINAY KUMAR)

नया नाम :
(विनय विजयवर्गीय)
(VINAY VIJAYWARGIA)
आत्मज श्री श्याम सुंदर विजयवर्गीय,
(S/o SHRI SHAM SUNDER VIJAYWARGIA)
निवासी—ए-216, मिनाल रेसीडेंसी,
जे. के. रोड, भोपाल (म. प्र.).

(169-बी.)

CHANGE OF NAME

Be, it known that I, Mohammad Farazuddin Qureshi S/o Nooruddin doing private service and resident of House No. 18, Ashok Colony, Noor Mahal, District Bhopal-462001 (M. P.). Has change my name and hence-forth I will be known as Faraz Uddin to Mohammad Farazuddin Qureshi in future.

Old Name :
(FARAZ UDDIN)

New Name :
(MOHAMMAD FARAZUDDIN QURESHI)
Add.—House No. 18,
Ashok Colony, Noor Mahal,
District-Bhopal-462001 (M.P.).

(170-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मृगेन्द्र सिंह पिता श्री रविनंदन सिंह, उम्र-45 वर्ष, 407, साऊथ सिविल लाईन, नवयुग कॉलेज के सामने, जबलपुर (म. प्र.) के समस्त शासकीय दस्तावेज एवं परिचय-पत्रों में उक्त नाम दर्ज है एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में ''मृगेन्द्र सिंह बघेल'' नाम अंकित है. वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, जबलपुर में विधि व्यवसायी हूँ. आज दिनांक 24-06-2014 से शासकीय दस्तावेज एवं परिचय-पत्रों के आधार पर मेरा नाम ''मृगेन्द्र सिंह'' लिखा-पढ़ा व समझा व जाना जावे.

पुराना नाम :
(मृगेन्द्र सिंह बघेल)

नया नाम :
(मृगेन्द्र सिंह)

(171-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अमित चंदवानी पिता श्री लक्ष्मण दास चंदवानी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी—म. नं. 244/ए, ए. पी. आर. कॉलोनी, कटंगा, पोस्ट केंट, जबलपुर (म. प्र.) है. मेरी पारिवारिक समस्या के कारण मैं अपना उपनाम ''चंदवानी'' के स्थान पर परिवर्तित कर ''खत्री'' कर रहा हूँ. वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, जबलपुर में विधि व्यवसायी हूँ.

आज दिनांक 12-06-2014 से मुझे मेरे परिवर्तित उपनाम सहित ''अमित खत्री'' नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम :
(अमित चंदवानी)

नया नाम :
(अमित खत्री)

(172-बी.)

नाम सुधार

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विश्व नाथ मुखर्जी पिता श्री काली पद मुखर्जी, उम्र लगभग 59 वर्ष, पता—1416, गंगानगर कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर (म. प्र.) है. मेरे कुछ शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में ''विश्वनाथ मुखर्जी/ BISHWANATH MUKHERJEE" दर्ज है, जो गलत है. मेरा वास्तविक व सही नाम ''विश्व नाथ मुखर्जी/BISWA NATH MUKHERJEE/B. N. MUKHERJEE" है. वर्तमान में मैं वाहन निर्माणी, जबलपुर (म. प्र.) में चार्जमैन-II (T) के पद पर पदस्थ हूँ. आज दिनांक 16-6-2014 से मेरे समस्त शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ''विश्व नाथ मुखर्जी/BISWA NATH MUKHERJEE/B. N. MUKHERJEE" लिखा, पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम :
(विश्वनाथ मुखर्जी)
(BISHWANATH MUKHERJEE)

नया नाम :
(विश्व नाथ मुखर्जी)
(BISWA NATH MUKHERJEE/
B. N. MUKHERJEE)

(173-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिता पहाड़िया पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह पहाड़िया, निवासी इन्दौर, जिला इन्दौर, उम्र 38 वर्ष घोषणा करती हूँ कि, मेरा नाम रिकॉर्डों में अभी तक अनिता तवँर चला आ रहा है. किन्तु 21-05-2008 को विवाह पश्चात् मेरा नाम अनिता पहाड़िया समस्त दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा व जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(अनिता तवँर)

नया नाम :
(अनिता पहाड़िया)
पति: गजेन्द्र सिंह पहाड़िया.

(181-बी.)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता का नाम श्रीमती गिरजेश कुमारी द्विवेदी (Smt. Girjesh Kumari Dwivedi) पुत्री श्री भैरव प्रसाद मिश्रा (Shri Bhairaw Prasad Mishra) मेरे दस्तावेजी रिकॉर्ड में अंकित है तथा मुझ प्रकाशनकर्ता को श्रीमती गिरिजा द्विवेदी (Smt. Girija Dwivedi) पत्नी श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी (Shri Dinesh Chandra Dwivedi) के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है. मुझ प्रकाशनकर्ता ने अब अपना नाम श्रीमती गिरिजा द्विवेदी (Smt. Girija Dwivedi) पत्नी श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी (Shri Dinesh Chandra Dwivedi) कर लिया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा मेरे समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(गिरजेश कुमारी द्विवेदी)
(Girjesh Kumari Dwivedi)
पुत्री श्री भैरव प्रसाद मिश्रा
(D/o Shri Bhairaw Prasad Mishra)

नया नाम :
(गिरिजा द्विवेदी)
(Girija Dwivedi)
पत्नी श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी
(W/o Shri Dinesh Chandra Dwivedi)
88, खेड़ापति कॉलोनी, ग्वालियर (म. प्र.).

(184-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता भालेराव आत्मजा श्री कमलाकर भालेराव, निवासी एफ-116, गौतम नगर, भोपाल यह घोषणा करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक 26-5-1991 को श्री शिरीष साठे आत्मज श्री कमलाकर साठे के साथ हुआ है, विवाह उपरान्त मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती श्रुति साठे पत्नी श्री शिरीष साठे हो गया है. भविष्य में मैं श्रीमती श्रुति साठे के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(संगीता भालेराव)
पुत्री स्व. कमलाकर भालेराव,
जी 2/20, 228 क्वा.,
साऊथ टी. टी. नगर, भोपाल.

नया नाम :
(श्रुति साठे)
पत्नि श्री शिरीष साठे,
एफ-116, गौतम नगर, भोपाल.

(185-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सुविधा गैस एजेन्सी, सिहोरा, जिला जबलपुर भागीदारी फर्म में श्री अरूण प्रताप सिंह पिता श्री अवधेश प्रताप सिंह को भागीदार के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से सम्मिलित किया गया है.

पूनम चन्द जैन,
(कर अधिवक्ता),
13/3, अशोक रोड, सदर,
जबलपुर (म. प्र.).

(174-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/S SHIVANI ENTERPRISES" of Gwalior Vide Reg. No. 02/42/01/00173/14, Dated 13-02-2014 undergone the following changes:-

1. That Shri Ritesh Gupta S/o Shri Mahesh Chand Gupta and Shri Abhishek Gupta S/o Shri Mahesh Chand Gupta has retire from the partnership business from the firm w.e.f. 10/06/2014 and the constitution of the firm stand altered accordingly.

"M/S SHIVANI ENTERPRISES"
SANGEETA GUPTA
(Working Partner),
Jagnnath Bhawan, Gali Tejendra Nath,
Dal Bazar, Lashkar, Gwalior (M. P.).

(175-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स इंदौर एलेक्ट्रिकल्स, 34/4, परदेसी पुरा, इंदौर, 452003 जो कि एक साझेदारी फर्म है, इसमें अनुबंध पर काम किया जाता है, उक्त फर्म से दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को मैसर्स मुकेश शर्मा, (HUF) 34/4, परदेसी पुरा, इंदौर, 452003 स्वेच्छा से पृथक् होकर वर्तमान में श्री मुकेश शर्मा पिता श्री मूलचंद शर्मा को साझेदारी में प्रवेश दिया गया है. तदुपरांत वर्तमान साझेदारी फर्म श्री मूलचंद शर्मा व श्री मुकेश शर्मा साझेदारों द्वारा चलाया जा रहा है.

मूलचंद शर्मा,
(पार्टनर),
मैसर्स इंदौर एलेक्ट्रिकल्स,
34/4, परदेसी पुरा, इंदौर, (म. प्र.).

(176-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री साई इण्डस्ट्रीज, जिसका पंजीयन क्रमांक/01/01/00486/2013 जिसका पता शॉप नं. 23, द्वितीय तल, एलाइड कॉम्प्लेक्स, इब्राहिमपुरा, भोपाल के नाम पंजीयत है. उक्त फर्म से श्रीमती श्यामा बाई पत्नी श्री डॉ. हरीचरण, आयु 51 वर्ष, निवासी मकान नं. 611, श्रीराम कॉलोनी, तलेन रोड, कुरावर मंडी, जिला राजगढ़ ने दिनांक 18-11-2013 को उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से निरर्वतन (रिटायरमेंट) ले लिया है एवं रिटायरमेंट डीड का निष्पादन किया है. अब इनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है न उनका उक्त फर्म में कोई हित निहित है एवं शेष बचे साझेदारों द्वारा नवीन साझेदारी का निष्पादन किया गया है. अत: सभी को सूचित किया जाता है कि श्रीमती श्यामा बाई पत्नी श्री डॉ. हरीचरण आयु 51 वर्ष, निवासी मकान नं. 511, श्रीराम कॉलोनी, तलेन रोड, कुरावर मंडी, जिला राजगढ़ का उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है न ही वह न फर्म में साझेदार है. उक्त संबंध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा समय अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पक्षकारी फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी. वह अमान्य मानी जायेगी.

वसीम कुरैशी
(अधिवक्ता),
एफ-7, एलाइट कॉम्प्लेक्स,,
मोती मस्जिद, भोपाल.

(177-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स व्याली इंटरनेशनल, 288-289, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13-14, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर से हमारे पार्टनर श्री कपिल लुघानी पिता श्री कन्हैयालाल लुघानी, निवासी—8, जवाहर मार्ग, काटजू कॉलोनी, इन्दौर दिनांक 01-04-2014 को निवृत्त (Retire) हो चुके हैं. अत: भविष्य में श्री कपिल लुघानी का हमारी फर्म से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं रहेगा.

For Vyali International,
Rajesh Kasturi,
(Partner)
288-289, दवा बाजार, प्रथम मंजिल,
13-14, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर.

(178-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राकेश गोदरे, अभिनन्दन नगर, रजाखेड़ी, सागर, दिनांक 10-05-2014 को पुनर्गठित हुई है. जिसकी एक भागीदार श्रीमती सावरा वेगम का देहान्त हो गया है एवं नये भागीदार श्री तकशील अहमद वल्द श्री जमील अहमद, निवासी अभिनन्दन नगर, रजाखेड़ी सम्मिलित हो रहे हैं.

For-M/s Rakesh Godre,
Mohd. Shamim,
(Partner)

(183-बी.)

आम सूचना

मैसर्स एस. आर. बिल्डर्स, पता—421, रौनक कॉम्पलेक्स, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर (म. प्र.) दिनांक 14-08-2009 में भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ, जिसमें श्री अनुराग अरोरा, श्रीमती रीता अरोरा, श्री दीपक अग्रवाल, श्री रौनक अरोरा भागीदार थे. यह फर्म (रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, जबलपुर) में दिनांक 04-02-2010 में रजिस्टर्ड हुई है. जिसका क्रमांक 4/14/01/00182/10 है.

दिनांक 23-01-2014 में श्रीमति अनुराधा जैन इस फर्म में नई भागीदारी के रूप में सम्मिलित हुई हैं तथा पुराने भागीदार श्रीमती रीता अरोरा, श्री दीपक अग्रवाल और श्री रौनक अरोरा अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा भागीदारी फर्म का नया कार्यालय दिनांक 23-01-2014 से सेठ निहाल चंद कॉम्पलेक्स, गुरूद्वारा रोड, गोरखपुर, जबलपुर, म. प्र. हो गया है.

अनुराग अरोरा,
(भागीदार)
मैसर्स एस. आर. बिल्डर्स,
सेठ निहालचंद कॉम्पलेक्स,
गुरूद्वारा रोड, गोरखपुर, जबलपुर (म. प्र.).

(182-बी.)

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Smt. Anita Agrawal W/o Shri Dilip Agrawal has retired from the partnership business of the firm named M/s. Natraj United Animal Feeds, 124, G. N. T. Market, Indore (MP) as partner vide regn. No. IF/495/95-96, dated : 23/01/1996, as from 01/04/2014. The constitution of the firm stands altered accordingly.

For M/s Natraj United Animal Feeds,
MANGILAL AGRAWAL,
(Partner)

(179-B.)

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Shri Vikram Singh S/o Shri Vijay Pratap Singh has been retired in the partnership business of the firm named M/s. Yash Motor Corp, 201, Classic Moon Plaza, Old Palasia Near Saket Nagar Square, Indore (M. P.) as partner vide regn. No. 03/27/01/00039/12, dated 22/05/2012, Year 2012-13, as from 01/04/2013 and Shri Mayank Singh S/o Shri Ravi Shankar Prasad Singh have been admitted in the partnership business of the said firm as a Partners as from 01-04-2013 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For Yash Motorcorp,
KUNAL SINGH
(Partner).

(180-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2014

क्र. जी.बी./दो (105) 2014/2055.—ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग **www.mpeproc.gov.in** से सुरक्षित मातृत्व (गर्भवती महिलाओं के लिए) पुस्तिका एवं मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (तकनीकी विवरण एवं शर्तें पृथक् पृष्ठ पर) मल्टीकलर मुद्रण कार्य हेतु अखिल भारतीय स्तर के मुद्रक जिनके पास मल्टीकलर मुद्रण मशीन स्थापित हो से ऑन-लाईन तकनीकी एवं कामर्शियल निविदा की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती है. तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्ड कापी दिनांक 22 जुलाई, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जायेगी.

ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाईड **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है.

किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

रेनू तिवारी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश भोपाल.

(562)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1982 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रायसेन, जिला रायसेन, म. प्र.

जैसाकि हरीप्रसाद पाराशर मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार, निवासी वार्ड नं. 15, अर्जुन नगर, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2014 को विचार हेतु रखा जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जो उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति और सुझाव देना चाहता है, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्ति के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट, रायसेन. गायत्री शक्ति पीठ वार्ड नं. 4, रामनगर कॉलोनी, रायसेन.
2.	चल सम्पत्ति	:	प्रारंभिक व निधि के रूप में रुपये 1766.70. केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक मर्यादित, रायसेन में खाते में जमा.
3.	अचल सम्पत्ति	:	प्लाट ख. क्र. 37/1 में से 3444.5 वर्ग फिट (83 × 41.5 फिट) स्थित वार्ड नं. 4, नबावपुर, प. ह. नं. 21, तहसील व जिला रायसेन.

(548)

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1982 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रायसेन, जिला रायसेन, म. प्र.

जैसा कि श्री कामता प्रसाद राठौर, प्रमुख न्यासधारी, निवासी ग्राम परवरिया, तहसील रायसेन, जिला रायसेन ने जिला राठौर क्षत्रीय समाज धर्मशाला ट्रस्ट समिति, रायसेन के द्वारा अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2014 को विचार हेतु रखा जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जिसको उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो. अवधि समाप्ति के बाद उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	जिला राठौर क्षत्रीय समाज धर्मशाला ट्रस्ट समिति, रायसेन, भोपाल रोड, गल्ला मंडी के सामने, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
ट्रस्ट की सम्पत्ति	:	भूमि 50 × 50=2500 वर्गफिट स्थित भूमि खसरा क्र. 676, रकबा 5.19 एकड़ में से प. ह. नं. 21, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन.
वार्षिक आय-व्यय	:	निरंक

उमराव सिंह मरावी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(548-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 23 मई, 2014

प्र. क्र. /2012-13/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री मुनव्वर खान पुत्र श्री काले खान, आयु 78 वर्ष, निवासी-छुट्टा की बजरिया, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 जून, 2014 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24 जून, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	..	खानकाह सुल्तानी न्यास, ग्वालियर अवाड़पुरा, इन्द्रानगर, कम्पू, लश्कर, परगना व जिला ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति	..	11,000/- रुपये
3. अचल सम्पत्ति	..	..

बक्की कार्तिकेयन,
पंजीयक.

(547)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री वर्द्धमान सौभाग्य ललित विश्वमैत्री धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय 34, अनुराग नगर, प्रेस कॉम्पलेक्स के पीछे, ए. बी. रोड,

इंदौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री दिलीप सिसौदिया, पता—3, मिश्र नगर, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री वर्द्धमान सौभाग्य ललित विश्वमैत्री धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	कार्यालय 34, अनुराग नगर, प्रेस कॉम्पलेक्स के पीछे, ए. बी. रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 6, 40, 677/- (रु. छः लाख चालीस हजार छः सौ सतहत्तर मात्र). बैंक में जमा तथा रु. 382/- नकद.

आज दिनांक 13 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(549)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग, सीहोर

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/13-14.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

श्री पुरुषोत्तम कुईया न्यासी श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, सीहोर (म. प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. सर्व-साधारण .....अनावेदकगण

उद्घोषणा-पत्र

चूंकि श्री पुरूषोत्तम कुईया न्यासी श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, सीहोर द्वारा श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर, सीहोर का प्रकरण क्र. 02/बी-121/91-92 में दिनांक 22 मई, 1998 को ट्रस्ट पंजीबद्ध होना बताया जाकर ट्रस्ट में 21 न्यासी रखने का उल्लेख किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि उक्त ट्रस्ट में पंजीयन के समय 18 न्यासीगण में से निम्नानुसार न्यासियों की मृत्यु होना प्रकट किया गया है.—

1. श्री डी. जी. पारे
2. श्री रामप्रसाद मित्तल
3. श्री घनश्याम अग्रवाल
4. श्री अमरचंद जी रोहिला
5. श्री राधाकिशन जी मंत्री
6. श्री गोपालदास राठौर
7. श्री रामदत्त चतुर्वेदी
8. श्री शांतिलाल सोनगर

इसके अतिरिक्त श्री अनिल सोडानी, श्री उपेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री केशरीमल जी गिरोठिया एवं देवव्रत शर्मा द्वारा ट्रस्ट में रहने में असमर्थता व्यक्त की गई है. इस कारण 8 मृत न्यासी तथा 5 न्यासी द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण निम्नानुसार 16 न्यासीगण के नाम न्यास में जोड़ने हेतु निवेदन किया गया है.

1. श्री ओमप्रकाश आ. घनश्यामदास मोदी
2. श्री गोपालदास आ. विष्णुदत्त सोनी
3. श्री विष्णु भरत्या आ. श्री प्रभूदयाल भरत्या
4. श्री गोविंद आ. स्व. श्री राम प्रसाद जी मित्तल
5. श्री सुरेश शर्मा आ. श्री राममूर्ति शर्मा
6. श्री भगवानदास आ. प्रेमनरायण मूंदड़ा
7. श्री सुरेश आ. श्री शंकरलाल साबू
8. श्री प्रकाश आ. श्री महेन्द्र कुमार जैन
9. श्री गणेश प्रसाद आ. श्री लक्ष्मण सिंह राठौर
10. श्री शिवचरण आ. अनूप सिंह राजपूत
11. श्री अशोक कुमार आ. श्री अमरचंद रोहिलया
12. श्री रवि प्रकाश पारे आ. श्री डी. पी. पारे
13. श्री मनोज उपाध्याय आ. श्री रमेश उपाध्याय
14. श्री राजकुमार अग्रवाल आ. श्री राम प्रसाद अग्रवाल
15. श्री आर. सी . गुप्ता आ. श्री जंगुलाल जी
16. श्री हरीशचंद्र जी अग्रवाल आ. श्री नन्नूलाल जी अग्रवाल

अतः एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त व्यक्तियों के नाम ट्रस्टीगण के रूप में जोड़े जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो तो वह अपनी आपत्ति मेरे न्यायालय में दिनांक -03-14 तक न्यायालयीन समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद पश्चात् प्राप्त आपत्तियों अथवा आक्षेपों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा.

आज दिनांक फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

हृदयेश कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(550)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-3 (1) के द्वारा]

यह कि चित्रकूट अखंड नर्मदा अन्नक्षेत्र एवं विश्राम आश्रम ट्रस्ट समिति, ग्राम रेउगांव, तहसील रेहटी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2014 दिवस मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

चित्रकूट अखंड नर्मदा अन्न क्षेत्र एवं विश्राम आश्रम ट्रस्ट, तहसील रेहटी, जिला सीहोर

1. चल सम्पत्ति . . 61,960/- नकद.
2. अचल सम्पत्ति . . कृषि भूमि ख. नं. 109, रकबा 0.376 हेक्टेयर एवं भवन (मंदिर)

एच. एस. चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(557)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, शाजापुर

प्र. क्र. /बी-113/2013-14.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूंकि श्रीमती अनुराधा नागर, पति श्री अभय कुमार नागर, नागनागनी रोड, शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर मध्यप्रदेश द्वारा महाशक्ति परमार्थ ट्रस्ट शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो कि व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण .. नगदी राशि रुपये निरंक.

परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण .. निरंक.

लक्ष्मी गामड़,
अनुविभागीय अधिकारी.

(558)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास, खाचरौद, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 02/बी-113/13-14.

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (क्रमांक 30 सन् 1951) और (5) संशोधित 1952 के अन्तर्गत]

आवेदक प्रवीणकुमार जैन (भटेवरा) पिता स्व. श्री मन्नुलालजी भटेवरा, निवासी भटेवरा गली, खाचरौद, अध्यक्ष द्वारा श्री श्वेताम्बर जैन, भटेवरा स्थानकवासी न्यास, खाचरौद को सार्वजनिक न्यास पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर न्यायालयीन कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् किसी भी दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

(परिशिष्ट)

(लोक न्यास का नाम और पता एवं चल/अचल संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम .. श्री श्वेताम्बर जैन भटेवरा स्थानकवासी न्यास, खाचरौद, जिला उज्जैन (म. प्र.)

अचल सम्पत्ति .. 1. भवन क्रमांक 101 जवाहर मार्ग तथा उससे लगी गली का भाग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म. प्र.)

2. भवन क्रमांक 156, महात्मा गांधी मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म. प्र.)

दिनांक जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रजनीश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(559)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी, राजस्व क्षेत्र, बदनावर, जिला धार

प्र. क्र. 02/बी-113/2013-14.

प्रारूप क्रमांक-4

[(नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों का पंजीयन, तहसील बदनावर, जिला धार.

अत: महाराणा प्रताप राजपूत समाज ट्रस्ट, बदनावर द्वारा न्यास के वर्तमान कार्यकारी न्यासियों के नाम :—

1.	श्री जी. पी. सिंह पिता श्री प्रतापसिंह राठौर, निवासी काछीबड़ोदा	अध्यक्ष
2.	श्री अंतरसिंह पिता श्री नाहरसिंह पवांर, निवासी बदनावर	उपाध्यक्ष
3.	श्री मोहनसिंह पिता श्री नारायणसिंह चौहान, निवासी बदनावर	सचिव
4.	श्री गोवर्धनसिंह पिता श्री करणसिंह सोलंकी, निवासी सकतली	कोषाध्यक्ष
5.	श्री मनोज सिंह पिता श्री रामदेव सिंह गौतम, निवासी लेबड़	संरक्षक
6.	श्री भंवरसिंह पिता श्री धुलसिंह शेखावत, विधायक बदनावर	सदस्य
7.	श्री लक्ष्मणसिंह पिता श्री गोवर्धनसिंह, निवासी बदनावर	सदस्य
8.	श्री गोपालसिंह पिता जयसिंह चंद्रावत, निवासी पिटगारा	सदस्य
9.	श्री भौमसिंह पिता श्री मांगूसिंह सोलंकी, निवासी कानवन	सदस्य
10.	श्री दशरथसिंह पिता श्री गोवर्धनसिंह सक्तावत, निवासी छायन	सदस्य
11.	श्री जसवंतसिंह पिता श्री अम्बारामसिंह पवांर, निवासी बुकडावदाखेडी	सदस्य
12.	श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री उदयसिंह सिसोदिया, निवासी पिपलीपाड़ा	सदस्य
13.	श्री जुझारसिंह पिता श्री धनसिंह यादव, निवासी धमाना	सदस्य
14.	श्री विक्रमसिंह पिता श्री भुवानसिंह, निवासी रावतसेरी	सदस्य
15.	श्री नारायणसिंह पिता श्री भौमसिंह झाला, निवासी कंकराज	सदस्य
16.	श्री लाखनसिंह पिता चतरसिंह चावडा, निवासी पंचकवासा	सदस्य

तहसील बदनावर, जिला धार द्वारा आवेदकगण महाराणा प्रताप राजपूत समाज ट्रस्ट, बदनावर द्वारा अध्यक्ष श्री जी. पी. सिंह पिता प्रतापसिंह राठौर, निवासी काछबड़ोदा का एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम बदनावर में राजपूत समाज के ट्रस्ट का गठन किया जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (1) के तहत राजपूत समाज का मांगलिक भवन निर्माण करना, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन समाज की संपत्ति की व्यवस्था तथा उन्नती हेतु ट्रस्ट गठन का निवेदन किया गया.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता, सम्पत्ति)

ट्रस्ट का नाम	. .	महाराणा प्रताप राजपूत समाज ट्रस्ट, तहसील बदनावर.
न्यास का पता	. .	बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार.
चल/अचल सम्पत्ति	. .	जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित, बदनावर में रुपये 27,310/- जमा तथा माथुर कॉलोनी, बदनावर में सर्वे नम्बर 2588/1 पैकी रकबा 0.101 आरे की भूमि.

उक्त कार्यवाही के समबन्ध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मुझे न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 22 जुलाई, 2014 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक को प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

एकता जायसवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(561)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./514, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बूढ़ी बरोद को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बूढ़ी बरोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./513, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चमरौआ को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चमरौआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 409, दिनांक 23 फरवरी, 1998 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./512, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के द्वारा महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, सतनबाड़ा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, सतनबाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2, दिनांक 21 जुलाई, 1998 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./510, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के द्वारा फल, साग-भाजी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दिनारा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/

एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत फल, साग-भाजी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दिनारा, जिसका पंजीयन क्रमांक 458, दिनांक 14 सितम्बर, 2001 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-C)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./508, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के द्वारा प्रगति चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कूढ़ा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्रगति चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कूढ़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 354, दिनांक 24 मई, 1995 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./509, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के द्वारा श्रमिक आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रमिक आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 02 जुलाई, 2007 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1828, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के द्वारा जय साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 19 मार्च, 2004 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. डण्डोतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1827, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लुकवासा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लुकवासा, जिसका पंजीयन क्रमांक 415, दिनांक 18 मार्च, 1998 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. डण्डोतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1826, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, वीरपुर को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, वीरपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 515, दिनांक 22 अगस्त, 2005 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1825, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, देवखो को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, देवखो, जिसका पंजीयन क्रमांक 516, दिनांक 22 अगस्त, 2005 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(551-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./237, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा अनु. ज. जा. मत्स्यौद्योग सहकारी संस्था, ढेहडोंगर का परिसमापक श्री ए. के. एस. भदौरिया, अंके. अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(551-J)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./236, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा सम्पूर्ण प्रिंटर्स एवं स्टेशनरी सप्लायर्स सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री ए. के. एस. भदौरिया, अंके. अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री एस. के. निम्बालकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(551-K)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

मण्डलेश्वर सहकारी कृषि उपज सहकारी संस्था मर्यादित, मण्डलेश्वर,

तहसील-मण्डलेश्वर, जिला-खरगोन.

मण्डलेश्वर सहकारी कृषि उपज सहकारी संस्था मर्यादित, मण्डलेश्वर, तहसील-महेश्वर, जिला-खरगोन. जिसका पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(578)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री राजनाथ कर्मा,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील-खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1111, दिनांक 11 फरवरी, 1997 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री टेकचन्द,
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
राजराजेश्वर सहकारी साख संस्था मर्यादित, महेश्वर,
तहसील-महेश्वर, जिला-खरगोन.

राजराजेश्वर सहकारी साख संस्था मर्यादित, महेश्वर, तहसील-महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति लीलाबाई मकवाने,
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
देवी अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्यादित, महेश्वर,
तहसील-महेश्वर, जिला-खरगोन.

देवी अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्यादित, महेश्वर, तहसील-महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक

12 फरवरी, 1996 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति सविता टेवा,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

माँ अयोध्या साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

माँ अयोध्या साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील-खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1418, दिनांक 20 अप्रैल, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति राधाबाई माणक,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील-खरगोन,, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1327, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह,

तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन.

नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह, तहसील-बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1330, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री राजेन्द्र जोशी,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

श्री धनलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री धनलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील-खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1328, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति रंजना संतोष,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

सिंगाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दोमवाडा,

तहसील-सेगांवा, जिला-खरगोन.

सिंगाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दोमवाडा, तहसील-सेगांवा, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1348, दिनांक 01 जुलाई, 2003 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति सुनिता पवन

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

डॉ. अम्बेडकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दाऊतखेड़ी,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

डॉ. अम्बेडकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दाऊतखेड़ी, तहसील-भगवानपुरा, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1349, दिनांक 16 जुलाई, 2003 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति सुशीला बाई,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

श्री नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कदवाली,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

श्री नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कदवाली, तहसील-भगवानपुरा, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1354,

दिनांक 03 जनवरी, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

रानी दुर्गावति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बहादरपुरा,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

रानी दुर्गावति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बहादरपुरा, तहसील-भगवानपुरा, , जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 03 जनवरी, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति ज्योत्सनाबाई,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

श्री लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बडी,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

श्री लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बडी, तहसील-भगवानपुरा,, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1413, दिनांक 23 मार्च, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति सुनिता पगारे,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेडी,

तहसील-झिरन्या, जिला-खरगोन.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेडी, तहसील-झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1414, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

कान्हा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देजला,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

कान्हा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देजला, तहसील-भगवानपुरा, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 25 अगस्त, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

सतीमाता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भड़वाली,

तहसील-सेगावां, जिला-खरगोन.

सतीमाता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भड़वाली, तहसील-सेगावां, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1362, दिनांक 13 फरवरी, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

माँ रेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतापुरा,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

माँ रेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतापुरा, तहसील-खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1533, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(552-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था.

जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम 6 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकास खण्ड	जारी सूचना पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बड़गांव.	495/09-11-1973	खरगोन	623/09-05-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, स.वि.अधि., खरगोन
2.	माँ रेवा उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., डोगरगांव.	1046/24-05-1996	खरगोन	624/09-05-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.
3.	माँ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बोरगांव.	1508/20-04-2007	गोगांवा	625/09-05-2014	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरी.
4.	आंबिका फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बैजापुर.	1510/20-04-2007	गोगांवा	626/09-05-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. वि. अधि.
5.	किसान फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, गोगांवा.	1511/20-04-2007	गोगांवा	627/09-05-2014	श्री के. के. अधिकार, सह. निरी.
6.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., घोटिया.	1543/14-02-2008	खरगोन	628/09-05-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.
7.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, दसंगा.	629/09-05-2014	खरगोन	629/09-05-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, स. वि. अधि., खरगोन
8.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, मोठापुरा.	1546/14-02-2008	खरगोन	630/09-05-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, स. वि. अधि., खरगोन
9.	सतपुड़ा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया.	1135/04-06-1997	कसरावद	665/24-05-2014	श्री मोहन परमार, वरिष्ठ सह. निरी.
10.	आदिवासी महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, देवाडा.	1172/31-03-1998	भगवानपुरा	666/24-05-2014	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरी.
11.	बलिया जलाशय मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बलिया.	1395/03-09-2004	बड़वाह	667/24-05-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. वि. अधि.
12.	जय दुर्गे मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बेगन्दी.	1434/03-08-2005	कसरावद	668/24-05-2014	श्री राजाराम भट्ट सह. वि. अधि.
13.	एकता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी.	1438/11-08-2005	बड़वाह	669/24-05-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. वि. अधि.
14.	जय माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिरभार.	1484/23-05-2006	बड़वाह	670/24-05-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. वि. अधि.

1	2	3	4	5	6
15.	जय जलदेव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेडा.	1482/14-08-2006	कसरावद	671/24-05-2014	श्री राजाराम भट्ट सह. वि. अधि.
16.	रानी दुर्गावती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, अहिरखेडा.	1496/27-11-2006	भीकनगांव	672/24-05-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. वि. अधि.
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अंदड.	1265/30-06-2000	भीकनगांव	980/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. वि. अधि.
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजनगांव.	1314/16-01-2000	भीकनगांव	982/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. वि. अधि.
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांईखेडी.	1273/23-01-2001	भीकनगांव	986/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. वि. अधि.
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सहेजला.	1256/23-02-2000	भीकनगांव	1006/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. वि. अधि.

यह आदेश आज दिनांक 18 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(553)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./सपंक/परि./13/521.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा, पं.क्र. 681, दिनांक 20 नवम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1433, दिनांक 29 अप्रैल, 1997 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा, पं.क्र. 681, दिनांक 20 नवम्बर, 1988 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(554)

कटनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरियापान, पं.क्र. 440, दिनांक 04 अक्टूबर, 1974 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1102, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरियापान, पं.क्र. 440, दिनांक 04 अक्टूबर, 1974 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(554-A)

कटनी, दिनांक 05 सितम्बर, 2013

क्र./सपंक/परि./13/1169.—कृषि उत्पादन साग-सब्जी, फल-फूल औषधी सहकारी समिति मर्या., नैगई, पं.क्र. 14, दिनांक 12 जुलाई, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/35, दिनांक 15 जनवरी, 2009 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था कृषि उत्पादन साग-सब्जी, फल-फूल औषधी सहकारी समिति मर्या., नैगई, पं.क्र. 14, दिनांक 12 जुलाई, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

रजनीश मिश्र,
सहायक पंजीयक.

(554-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1461.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., बड़नगर	1649/26-07-2004

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्था में अनियमितता पाये जाने से संस्था अकार्यशील है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., बड़नगर.	1649/26-07-2004	श्री आर. एस. मेहर, सह. विस्तार अधि., बड़नगर

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2014 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(555)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014-आषाढ़ 20, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना (गुना), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), गौरीहार, बिजावर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), रघुराजनगर, नागौद (सतना), जेतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गरोठ, धुन्धड़का (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), खिलचीपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), भैंसदेही, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), पाटन, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बमोरी (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), बकस्वाहा (छतरपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), तराना (उज्जैन), ब्यावरा (राजगढ़), उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल (बैतूल), सीहोरा (जबलपुर), तामिया, हर्रई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला टीकमगढ़ व मंदसौर में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान व मंदसौर में 25% से 50% नुकसान व अनूपपुर, उमरिया में वर्षा ओला से खड़ी रबी फसल को आंशिक क्षति एवं सीहोर वर्षा ओला से रबी फसलें कहीं-कहीं प्रभावित हुई हैं.

5. **कटाई.**—जिला मुरैना में फसल सरसों व कटनी में मसूर व धार, हरदा में गेहूँ, चना व दमोह, डिण्डोरी में मसूर, मटर व दतिया में मसूर, राई-सरसों, मटर व इन्दौर में रबी फसल एवं सिवनी में रबी फसल दलहन की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	11.0				
4. जौरा	14.0				
5. सबलगढ़	6.0				
6. कैलारस	15.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	2.1		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिली अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	2.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. मसूर, राई-सरसों, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	12.0				
4. चन्देरी	12.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	16.0		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	18.0				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	18.0				
5. बल्देवगढ़	13.0				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	9.0				
7. बड़ामलहरा	3.2				
8. बक्स्वाहा	17.6				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, लाख, तिवड़ा बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	4.4		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. चना, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	5.0				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से फसलों को आंशिक क्षति हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.0		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	4.8				
4. पुष्पराजगढ़	12.3				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. वर्षा ओला से खड़ी रबी फसल को आंशिक क्षति हुई है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	29.8		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	3.0		(2) . .		
3. मानपुर	27.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से 25% से 50% नुकसान.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	3.0				
5. मन्दसौर	. .				
6. धुन्धड़का	7.0				
7. सीतामऊ	. .				
8. श्यामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	8.0		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	6.0		(2) . .		
3. तराना	30.0				
4. घटिया	2.0				
5. उज्जैन	4.0				
6. बड़नगर	4.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ोद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. कट्टीवाड़ा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों समान.		
4. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	0.1		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	2.5				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	4.6		मसूर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	20.0				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	3.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	2.0		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	7.0				
4. बासौदा	14.6				
5. नटेरन	8.0				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	2.0				
8. ग्यारसपुर	12.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. वर्षा ओला से रबी फसल	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .	प्रभावित हुई.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	13.0		सरसों, अलसी, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	11.0		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	4.0				
7. वाड़ी	9.0				
8. उदयपुरा	21.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	9.1		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोडाडोंगरी	33.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	24.0				
4. चिचोली	19.1				
5. बैतूल	34.4				
6. मुलताई	13.5				
7. आठनेर	10.8				
8. आमला	14.0				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	19.2		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	12.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	10.2				
4. मझौली	7.0				
5. कुण्डम	7.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	चालू है.	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	10.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	0.8		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	1.0				
4. मण्डला	8.2				
5. घुघरी	4.2				
6. नारायणगंज	3.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	10.4		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	2.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	4.8		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	7.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	12.2				
4. जामई (तामिया)	30.0				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	6.6				
7. अमरवाड़ा	12.2				
8. चौरई	7.2				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	21.8				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल दलहन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, कोदों-कुटकी, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, पन्ना, बड़वानी, खण्डवा, देवास से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(556)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.